समाचार

31 दिसम्बर तक बकाया कर राशि जमा न करने पर बड़े बकायादारों के नाम होंगे सार्वजनिक, होगी कुर्की की कार्यवाही

(आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने राजस्व अधिकारियों, निरीक्षकों की बैठक लेकर राजस्व वसूली कार्यप्रगति की समीक्षा की, कार्यप्रगति में तेजी लाकर लक्ष्य प्राप्त करने के दिए निर्देश)

कोरबा 19 दिसम्बर 2022 – आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने राजस्व वसूली में अपेक्षित प्रगति न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए 31 दिसम्बर तक बकाया कर राशि जमा न करने वाले बड़े बकायादारों के नाम सार्वजनिक करने तथा डिमांड नोटिस आदि की औपचारिकता के पश्चात भी बकाया राशि जमा न करने वाले बकायादारों के विरूद्ध कुर्की की कार्यवाही किए जाने के निर्देश राजस्व अधिकारियों को दिए। उन्होने इस हेतु 01 लाख रूपये से अधिक, 50 हजार रूपये से 01 लाख रूपये तक एवं 50 हजार रूपये तक के बकायादारों की पृथक–पृथक सूची तत्काल तैयार किए जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। आयुक्त श्री पाण्डेय ने बकायादारों व करदाताओं से भी कहा है कि वे तत्काल बकाया कर राशि निगम कोष में जमा कराएं तथा निगम द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की कार्यवाही से होने वाली असुविधा से बचें।

आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने आज नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों, निरीक्षकों की बैठक लेकर राजस्व वसूली कार्यप्रगति की जोनवार व वार्डवार विस्तार से समीक्षा की तथा राजस्व वसूली में अपेक्षित प्रगति न होने को गंभीरता से लेते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की तथा बकायादारों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के संकेत दिए। यहॉं उल्लेखनीय है कि सम्पत्तिकर, समेकितकर, जलकर, भवन दुकान किराया सहित अन्य करों के माध्यम से करदाताओं द्वारा निगम को राजस्व प्राप्त होता है, उनके द्वारा नियमित रूप से करों का भुगतान न किए जाने से परिणाम स्वरूप एक बड़ी राशि बकाया कर के रूप में निगम को प्राप्त करनी है। करदाताओं द्वारा समय पर कर राशि जमा न कराने पर एक ओर बकाया कर की राशि बढ़ती जाती है, वहीं दूसरी ओर निगम को आर्थिक क्षति का सामना भी करना पड़ता है। आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने बैठक के दौरान कोरबा, टी.पी.नगर, कोसाबाड़ी, पं.रविशंकर शुक्ल, बालको, दर्री, सर्वमंगला व बांकीमोंगरा जोन के सभी वार्डो की वार्डवार राजस्व वसूली व बकाया राशि की समीक्षा करते हुए वसूली की धीमी कार्यप्रगति पर नाराजगी जाहिर की तथा कार्य में तेजी लाने व निर्धारित वसूली लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश राजस्व प्रभारियों को दिए। उन्होने निर्देशित करते हुए कहा कि 31

दिसम्बर तक जिन बड़े बकायादारों द्वारा बकाया कर की राशि जमा नहीं कराई जाती, उनके नाम समाचार पत्रों व मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किए जाएं, साथ ही नियमानुसार कुर्की की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।

करदाताओं को कर राशि जमा करने प्रेरित करें – आयुक्त श्री प्रभाकर पाण्डेय ने राजस्व अधिकारियों व निरीक्षकों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने वार्ड व जोन के अंतर्गत आने वाले करदाताओं व बकायादारों से निरंतर संपर्क करें, उन्हें प्रेरित करें कि वे समय पर करों को जमा कराएं, साथ ही करदाताओं को बताए कि निर्धारित समय पर कर जमा करने पर उन्हें क्या लाभ प्राप्त होते हैं तथा करों का भुगतान समय पर न किए जाने पर उनके ऊपर करों का बोझ बढ़ता जाता है।

भवन दुकान किराया वसूली की समीक्षा – बैठक केदौरान आयुक्त श्री पाण्डेय ने भवन, दुकान किराया की बकाया राशि की वसूली तथा इस दिशा में की गई अब तक की कार्यवाही की विस्तार से समीक्षा की, जिन दुकानदारों द्वारा समय पर दुकान किराया जमा नहीं किया जा रहा है तथा जिनके ऊपर किराए की राशि बकाया है, ऐसे दुकानों में ताला लगाने तथा बकाया राशि जमा करने के पश्चात ही ताला खोलने के निर्देश संबंधित राजस्व अधिकारियों को दिए।

अनियमित विकास का नियमितीकरण – बैठक के दौरान आयुक्त श्री पाण्डेय ने अनियमित विकास के नियमितीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों तथा इसके तहत किए जा रहे सर्वे कार्य की कार्यप्रगति की विस्तार से समीक्षा की। जोनवार समीक्षा करते हुए आयुक्त श्री पाण्डेय ने भवन अधिकारी एवं उप जोन प्रभारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि सभी वार्डो में किए जा रहे सर्वे कार्य में तेजी लाएं तथा जिन भवनों के नियमितीकरण किया जाना हैं, उन्हें नोटिस जारी करें, यदि उनके द्वारा नियमितीकरण हेतु नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत नहीं किए जाते तो इस आवश्यक कार्यवाही करें।

दो आर्किटेक्ट साकेत भवन में रहेंगे उपलब्ध – आयुक्त श्री पाण्डेय के निर्देश पर अनियमित विकास के नियमितीकरण के संबंध में निगम कार्यालय साकेत में 02 आर्किटेक्ट उपलब्ध रहेंगे, वे कार्यालयीन समय में नियमित रूप से बैठेंगे तथा अनियमित विकास के नियमितीकरण हेतु आने वाले लोगों को उचित मार्गदर्शन देंगे एवं आवश्यक प्रक्रिया पूरी कराएंगे।

बैठक के दौरान अपर आयुक्त खजांजी कुम्हार, भवन अधिकारी अखिलेश शुक्ला, संपदा अधिकारी श्रीधर बनाफर, राजस्व अधिकारी अशोक बनाफर, रघुराज सिंह, अनिरूद्ध सिंह, करतार सिंह क्षत्री के साथ ही निगम के राजस्व निरीक्षक, उप राजस्व निरीक्षक तथा सहायक राजस्व निरीक्षक आदि उपस्थित थे।